धुँन्ध/कोहरे के मौसम में कार्य करने हेतु लोको पायलटों के लिए निर्देश

- धुंध के दौरान धुंध प्रभावित क्षेत्र में चलने वाली सभी गाड़ियों के लोको पायलटों को फॉग सेफ डिवाइस उपलब्ध कराये जायेंगे। ऐसे क्षेत्रों में जहां फॉग सेफ डिवाइस दिये गये हों वहॉ पर डेटोनेटर नहीं लगाये जायेंगे।
- मॉडीफाइड ऑटोमैटिक सैक्शन सिगनलिंग प्रणाली लागू होने पर **GR 9.01 (3) & (4) and GR 9.03 (3) & (4) and GR 5.18** का पालन सख्ती से किया जायेगा।
- **SR 3.61/4:** लोकोमोटिव में फॉग सेफ डिवाइस के उपयोग के साथ, लोको पायलट धुंध के दौरान गाड़ी की गति के सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही करेगा **(G&SR Correction slip no. 183 dt. 10-12.18)** :–

  i) पूर्ण ब्लाक पद्धति में गाड़ियों की गति 75 किमी/घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

  ii) ऑटोमैटिक ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी की गति निम्न प्रकार होगी :–

  - ऑटोमैटिक सिगनल को हरी **(Green)** अवस्था में पास करने के बाद – 75 किमी/घंटा से अधिक नहीं होगी।
  - ऑटोमैटिक सिगनल को दो पीली **(Double Yellow)** अवस्था में पास करने के बाद – 30 किमी/घंटा से अधिक नहीं होगी।
  - ऑटोमैटिक सिगनल को एक पीली **(Yellow)** अवस्था में पास करने के बाद गाड़ी को इतनी प्रतिबन्धित गति से चलायेगा कि अगले स्टाप सिगनल पर रूकने के लिए तैयार रहेगा।

  यदि लोको में फॉग सेफ डिवाइस उपलब्ध नहीं है या उसने काम करना बन्द कर दिया तो ऊपर बतायी गयी 75 किमी/घंटा की अधिकतम गति को डबल डिस्टेंट/ स्वचालित सिग्नलिंग व्यवस्था में 60 किमी/घंटा या लोको पायलट के विवेक अनुसार उससे कम किया जायेगा।

  अन्य सभी खण्डों पर, 75 किमी/घंटा की अधिकतम गति को 50 किमी/घंटा से कम किया जायेगा या ऐसी गति से जिस पर लोको पायलट अपनी गाड़ी को आसानी से नियंत्रित कर सके, दोनों में से जो भी कम हो।

  iii) ऑटोमैटिक सिगनलिंग क्षेत्र में जब मॉडीफाइड ऑटोमैटिक सिगनलिंग व्यवस्था लागू हो तथा दृश्यता धुंध के कारण बाधित हो तो लोको पायलट **SR 3.61/4(ii)** का पालन करते हुए कार्य करेगा। तथापि दृश्यता साफ होने पर उस सैक्शन में लागू स्थाई एवँ अस्थाई गति प्रतिबन्धों का पालन करते हुए, अधिकतम अनुमेय गति से गाड़ी चलायेगा।

- सम्बन्धित सैक्शन की सिगनल लोकेशन पुस्तिका खोलकर ड्राइविंग डेस्क पर रखें तथा आने वाले सिगनल की लोकेशन हेतु पहले से तैयार रहें।

- गाड़ी के समपार फाटक पर पहुँचते समय गेटमैन एवँ रोड यूजर्स को सचेत करने हेतु लोको पायलट बार बार सीटी बजायेंगे।
- सिगनलों की अवस्था **(Aspect)** के बारे में वाकी टाकी सेट पर सूचना नहीं दी जायेगी।
- धुंध/कोहरे के मौसम में ऑटोमैटिक सिगनलिंग क्षेत्रों में मिड सेक्शन मॉडीफाइड सेमी ऑटोमैटिक सिगनलिंग प्रणाली चालू रहेगी।
- धुंध की अवस्था के बारे में लोको पायलट एवँ गार्ड को साइन ऑन के समय सूचित किया जायेगा।

2.0 धुंध/कोहरे के मौसम में ऑटोमैटिक सिगनलिंग क्षेत्रों में मिड सेक्शन मॉडीफाइड सेमी ऑटोमैटिक सिगनलिंग प्रणाली चालू रहेगी।

धुंध की अवस्था के बारे में लोको पायलट एवँ गार्ड को साइन ऑन के समय सूचित किया जायेगा।

3.0 मिड सेक्शन मॉडीफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिगनल की पहचान

a) मिड सेक्शन मॉडीफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिगनल में **"A"** प्लेट के स्थान पर प्रज्जवलित **(illuminated) "A"** मार्कर लगा होगा तथा उसके नीचे नीले रंग की तीन तथा सफेद रंग की दो चमकदार पट्टियॉं **(Retro Reflective Tape)** लगी होंगी।

b) यदि सेमी ऑटोमैटिक गेट स्टॉप सिगनल को मिड सेक्शन मॉडीफाइड सेमी ऑटोमैटिक सिगनल में परिवर्तित किया जाता है तो इस पर **"G"** प्लेट के स्थान पर प्रज्जवलित **(illuminated) "AG"** मार्कर लगा होगा।

4.0 सामान्य मौसम में डिस्पैचिंग स्टेशन के एडवांस स्टार्टर सिगनल, मिड सेक्शन के मॉडीफाइड सेमी ऑटोमैटिक सिगनल तथा **Receiving station** के **Home Signal** के **"A"** मार्कर जले होंगे तथा ऑटोमेटिक सेक्शन में कार्य करने के वर्तमान **G&SR** नियमों के अनुसार ही इन सिगनलों को पास किया जाएगा ।

5.0 धुन्ध के मौसम में इन तीनों सेमी ऑटोमेटिक सिगनलों पर लगे **"A"** मार्करों को बुझा दिया जाएगा तो इसका तात्पर्य है कि इसके बाद गाड़ियों का संचालन मिड सेक्शन मॉडीफाइड ऑटोमेटिक सिगनलिंग प्रणाली के अनुसार होगा।

6.0 अन्य सभी ऑटोमेटिक सिगनल सामान्य रूप से ही कार्य करेंगे तथा इन सिगनलों को पार करने के लिए चालकों द्वारा वर्तमान **GR&SR** नियमों का ही पालन किया जाएगा।

7.0 धुंध के मौसम में डिस्पेचिंग स्टेशन के एडवांस स्टार्टर के फेल होने पर कार्यवाहीः–

डिस्पेचिंग स्टेशन से लोको पायलट को एडवांस स्टार्टर के फेल होने पर इसे पार करने के लिए पहले गयी गाड़ी के मिड सेक्शन मॉडीफाइड सेमी ऑटोमैटिक स्टाप सिगनल एवं उससे आगे पर्याप्त दूरी पार करना सुनिश्चित करने के उपरान्त, स्टेशन मास्टर के द्वारा लिखित अथोरिटी **[T/369(3b)]** जारी किया जायेगा, जिस पर कोई प्राइवेट नम्बर नहीं लिखा जायेगा। ऐसी दशा में गाड़ी की गति अगले सिगनल की

जड़ तक किसी भी दशा में 10 किमी. प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी तथा किसी भी अवरोध से पहले सुरक्षित दूरी पर रूकने के लिए तैयार रहेगें। तत्पश्चात आगे सिगनल के संकेत (Aspect) के अनुसार ट्रेन का संचालन किया जायेगा।

8.0 धुंध के मौसम में मिड–सेक्शन सेमी–ऑटोमेटिक सिगनल लाल (Red) अवस्था में मिलने पर लोको पायलट द्वारा की जाने वाली कार्यवाहीः–

यदि मिड–सेक्शन मॉडीफाइड सेमी–ऑटोमेटिक सिगनल लाल (Red) स्थिति में मिलता है तो लोको पायलट अपनी गाड़ी को सिगनल की जड़ पर खड़ी करेगा तथा निम्न कार्यवाही करेगा–

अ) लोको पायलट MTRC/SPT फोन द्वारा रिसीविंग स्टेशन के स्टेशन मास्टर से सम्पर्क करेगा तथा मिड–सेक्शन सेमी–ऑटोमेटिक सिगनल के लाल (ON) होने की जानकारी देगा। तत्पश्चात, रिसीविंग स्टेशन मास्टर पहले भेजी गई गाड़ी के स्टेशन पर पूर्ण आगमन सुनिश्चित करने के बाद, सिगनल को लाल (ON) की दशा में पार करने के लिए एक प्राइवेट नम्बर देगा। रिसीविंग स्टेशन के स्टेशन मास्टर से प्राप्त प्राइवेट नम्बर को लोको पायलट अपनी वर्किंग डायरी में नोट करने के बाद अत्यन्त सावधानी पूर्वक आगे बढ़ेगा एवं किसी भी अवरोध से पहले रूकने के लिए तैयार रहेगा। गाड़ी की गति किसी भी दशा में अगले ऑटोमेटिक सिगनल की जड़ तक 10 किमी.प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी, तत्पश्चात **GR 9.02 & SR 3.61/4** के अनुसार कार्य करेगा।

ब) यदि किसी भी कारणवश **MTRC/SPT** फोन के द्वारा रिसीविंग स्टेशन के स्टेशन मास्टर से बात नहीं होती है तो लोको पायलट सिगनल पर 5 मिनट इंतजार करेगा। यदि सिगनल लाल ही रहता है तो अत्यन्त सावधानी पूर्वक आगे बढ़ेगा एवं किसी भी अवरोध/गाड़ी के टेल लैम्प से पहले रूकने के लिए तैयार रहेगा। गाड़ी की गति किसी भी दशा में अगले ऑटोमेटिक सिगनल की जड़ तक 10 किमी.प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी तथा उस सिगनल पर पहुँच कर उसके संकेतो का पालन करेगा। अगले स्टेशन पर चालक उपरोक्त सिगनल की खराबी की सूचना वाकी–टाकी या लिखित मीमो के द्वारा स्टेशन मास्टर को देगा।

9.0 मिड सेक्शन मॉडीफाइड सेमी ऑटोमैटिक सिगनल के खराब होने की सूचना मिलने पर रिसीविंग स्टेशन मास्टर तुरन्त इसकी सूचना डिस्पेंचिंग स्टेशन मास्टर को देगा। इसके बाद डिस्पेचिंग स्टेशन मास्टर रिसीविंग स्टेशन मास्टर से लाइन क्लीयर लेकर ही गाड़ी चलायेगा तथा लोको पायलट को इस सिगनल को ऑन की हालत में बिना रूके पास करने हेतु मीमो **T-369 (1)** [उ.म.रेलवे में फार्म **T-901 (4)**] जारी करेगा। इस मीमो पर अगले स्टेशन तक लाइन क्लीयर हेतु प्राइवेट नम्बर भी अंकित करेगा। लोको पायलट **GR 9.02 & SR 3.61/4** का पालन करते हुए बीच में पड़ने वाले अन्य ऑटोमैटिक सिगनलों का पालन करेगा। यदि मिड सेक्शन मॉडीफाइड सेमी ऑटोमैटिक सिगनल किसी गेट को भी कंट्रोल करता है तो कंट्रोलिंग स्टेशन मास्टर गाड़ी को लाइन क्लीयर देने से पहले या गाड़ी चलाने से पहले ऐसे गेट का बन्द होना सुनिश्चित करेंगे।

10.0 धुंध के मौसम में **Reception** स्टेशन का होम सिगनल खराब होने पर की जाने वाली कार्यवाहीः– **Reception** स्टेशन का होम सिगनल खराब होने पर स्टेशन

मास्टर कॉलिग ऑन सिगनल को ऑफ करके या लोको पायलट को लिखित मीमो **[(T/369(3b)]** जारी करके गाड़ी को स्टेशन पर रिसीव करेगा।

11.0 यदि मिड–सेक्शन सेमी–ऑटोमेटिक गेट सिगनल को मिड सेक्शन मॉडीफाइड सेमी–ऑटोमैटिक सिगनल में परिवर्तित किया गया है तो उसे पार करने के निर्देशः–

11.1 जब गेट बन्द होगा तो **'A'** मार्कर जलेगा। जब गेट खुला होगा या गेट खराब होगा तो **'AG'** मार्कर जलेगा। जब **'A'** एवं **'AG'** दोनों मार्कर बुझे हों, तो सिगनल मैनुअल स्टॉप सिगनल की तरह कार्य करेगा।

11.2 धुंध के मौसम में **'A'** एवं **'AG'** दोनों मार्कर बुझा दिये जायेंगे। यदि ऐसा सिगनल लाल मिलता है तो लोको पायलट अपनी गाड़ी को सिगनल की जड़ पर खड़ी करेगा तथा उपरोक्त क्रम सं. 8.0 के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करेगा।

12.0 साफ मौसम के दौरान मिड सेक्शन माडीफाइड सेमी आटोमैटिक सिगनल के **A** मार्कर के बुझे होने पर की जाने वाली कार्यवाहीः–

साफ मौसम के दौरान यदि लोको पायलट को मिड सेक्शन मॉडीफाइड सेमी आटोमैटिक सिगनल पर लगा **A** मार्कर बुझा मिलता है तथा सिगनल भी लाल की हालत में मिलता है तथा तो लोको पायलट उपरोक्त क्र.सं. 8.0 के अनुसार कार्यवाही करेगा।

गार्डों के लिए निर्देशः

- आटोमैटिक सैक्शन में धुंध व कोहरे के दौरान गार्ड दिन तथा रात के समय अपना लाल फ्लेशिंग टेल लैम्प जलाकर रखेगा।
- जब गाड़ी किसी ऑटोमेटिक सिगनल के लाल **(ON)** होने पर नियमानुसार रूकेगी तब गार्ड पीछे की ओर लाल सिगनल दिखाएगा **(GR 9.02/2).**
- आटोमैटिक सिगनलिंग सैक्शन में गाडी खडी होने पर गार्ड हैंड सिगनल लैम्प द्वारा पीछे से आने वाली गाडी के चालक को लाल सिगनल जला बुझाकर दिखायेगा तथा पीछे से आने वाली गाडी के लोको पायलट का ध्यान आकर्षित करने के लिए गार्ड वाकी टाकी सेट पर अपनी गाडी खडी होने की सूचना, ब्रेकवान की स्थिति, किमी नं. के साथ बोलते रहेगा। लोको पायलट आटोमैटिक सिगनल को ऑन की हालत में पास करने के बाद ऐसी आवाज का ध्यान रखेगा।
- लोको पायलट ऑटामैटिक सिगनल लाल की दशा में मिलने पर दिन में एक मिनट था रात एवं कोहरे में दो मिनट रूकने के बाद ही सिगनल को लाल अवस्था में पार करेगा तथा अत्यन्त सावधानी पूर्वक आगे बढ़ेगा एवं किसी भी अवरोध से पहले रूकने के लिए तैयार रहेगा। गाड़ी की गति किसी भी दशा में अगले ऑटोमेटिक सिगनल की जड़ तक 10 किमी.प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी तथा उस सिगनल पर पहुँच कर उसके संकेतो का पालन करेगा। गार्ड यह ध्यान रखेगा कि चालक निर्धारित गति से अधिक न चलें। चालक द्वारा अधिक गति पर चलने पर गार्ड **GR4.45** के अनुसार चालक का ध्यान आकर्शित करने की कार्यवाही करेंगे।